अज अदालत सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर मुकाम अजमेर

श्रीमति भवंरी बनाम घीसी व अन्य

मुकदमा अर्न्तगत धारा 212 आरटीए मु0न0 19/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम ज इस हुक्म की तामिल में जारी हु
16.05.2018	प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा **212 आरटीए** का जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया। प्रार्थीगणके अभिभाषक को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी हो पत्रावली दिनांक 21.06.2018 को पेश हो। सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर पुनश्चः पत्रावली लोक अदालत/कोर्ट कैम्प..... हेतु पक्षकारान को नोटिस जारी हो। पत्रावली दि. 21/6/18 को लोक अदालत/कोर्ट कैम्प.....में पेश हो। सहायक कलेक्टर (मु०) अजमेर पक्षकारान उप-अनु/वकील प्रार्थी/अप्रार्थी हाजिर। पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। पक्षकारान में समझाईश की गयी। परन्तु राजीनामा नहीं हुआ। अतः पत्रावली पूर्व कार्यवाही हेतु दिनांक 17/8/18 को न्यायालय में पेश हो। अध्यक्ष लोक अदालत सहायक कलक्टर (मु.) अजमेर	
26/7/18	पत्रावली मय पत्र के पिछले आदेश के क्रम में पेश पत्रावली के साथ पेश हुई प्रार्थी अभिभाषक के कथन कि अर्थीगण के नोटिसजारी मय पत्र MO Receiptस किए गए थे। अतः आज 212 RTA को भी MO Receiptमे स्वीकृत करवाया जावे प्रार्थी अभि के बाद आवेदिका पर MO Receipt [illegible] पत्र आज के स्वीकृत किये जाने का निवेदन किया। मय पत्र स्वीकृत के जाने से उपरान्त आज के भी MO Receiptमे स्वीकृत किए जाएं। पत्रावली कैम्प मुकदमा नम्बर से करें। सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.), अजमेर	